

प्रारूप "ख"
 {{देखिये नियम - 9 (3), (4) और (6)}}
 कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़
 तहसील - बहरोड़
 जिला - अलवर

क्रमांक :- भू०रू० / 2022 / 142

दिनांक :- ०८ / ०८ / 2022

संपरिवर्तन आदेश

सत्यम शिवम शिक्षा समिति ग्राम जखराना तहसील बहरोड़ जिला अलवर जरिये चेरमैन राजकुमार पुत्र श्री झाबर सिंह निवासी मौहल्ला गुरुनानकपुरा नारनौल जिला महेन्द्रगढ के आवेदन पर उसकी खातेदारी की कृषि भूमि में धारित भूमि का राजस्थान भू - राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिये एतद् द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है :-

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता / पति. के नाम सहित पूरा पता	सत्यम शिवम शिक्षा समिति ग्राम जखराना तहसील बहरोड़ जिला अलवर जरिये चेरमैन राजकुमार पुत्र श्री झाबर सिंह निवासी मौहल्ला गुरुनानकपुरा नारनौल जिला महेन्द्रगढ।
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है।	नहीं
3	संपरिवर्तित भूमि का ब्योरा	23 रकबा 0.12 है, 24 रकबा 0.32 है, 25 रकबा 0.10 है, 26 रकबा 0.11 है कुल कित्ता 4 रकबा 0.65 है अर्थात कुल 6500 वर्गमीटर
	(क) ग्राम, ग्राम पंचायत तथा तहसील का नाम	ग्राम बालपुरा ग्राम पंचायत भगवाड़ी खुर्द तहसील बहरोड़
	(ख) भूमि का खसरा सं० और प्रत्येक खसरा सं० का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	23 रकबा 0.12 है, 24 रकबा 0.32 है, 25 रकबा 0.10 है, 26 रकबा 0.11 है कुल कित्ता 4 रकबा 0.65 है अर्थात कुल 6500 वर्गमीटर
	(ग) प्रत्येक खसरा सं० क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल हैक्टेयर या वर्ग मीटर में। टिप्पणी :- अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुए, राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग के सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।	23 रकबा 0.12 है, 24 रकबा 0.32 है, 25 रकबा 0.10 है, 26 रकबा 0.11 है कुल कित्ता 4 रकबा 0.65 है अर्थात कुल 6500 वर्गमीटर
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	शिक्षण संस्थान
5	संदेय प्रीमियम की दर	36.18 रुपये प्रति वर्गमीटर




 उपखण्ड अधिकारी
 बहरोड़ (अलवर)


6	चालान संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम	चालान सं० 45490887 दिनांक 16/12/2020 राशि 50000/- एवं चा० सं० 65053236 दिनांक 28/07/2022 राशि 890680/- कुल राशि 940680/-
7	चालान संख्या तथा तारीख सहित शास्ती यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	विन्दु सं० 6 में वर्णित कुल राशि में सम्मिलित है।
8	चालान संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	नहीं
9	क्या आदेश नियमितकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है।	हाँ
10	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	आवेदक द्वारा उप नगर नियोजक अलवर के पत्रांक एएलआर /168 दिनांक 27/02/2017 की पालना में सड़क विस्तार हेतु 500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क राज्य सरकार को समर्पित कर दी गई है। जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल भी हो चुका है। जिसका नया खसरा नम्बर 23/467/494 रकबा 0.05 कायम किया जा चुका है।
11	उक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन आदेश निम्न शर्तों के अधीन होगा :- 1. उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्वअनुमति प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। 2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष के कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत कर लिया जावेगा। नियम सं० 4 में वर्णित संपरिवर्तन प्रयोजन के अतिरिक्त उक्त भूमि का उपयोग अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। 4. बहरोड से नारनौल को जाने वाली सड़क जिसका मार्गाधिकार 75 मीटर है। सड़क के मध्य रेखा से 40 मीटर भूमि सड़क विस्तार हेतु आवेदक द्वारा निःशुल्क समर्पित कर दी गई है। इसके अलावा 30 मीटर भूमि ग्रीन बफर हेतु आरक्षित रखी जावेगी। ग्रीन बफर में किसी प्रकार का निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा। 5. प्रार्थी द्वारा (संलग्न मानचित्र अनुसार) राजस्थान मॉडल भवन विनियम 2010 के अनुसार भूखण्ड पर निम्नानुसार सैट - बैक रखे जावेगे। (i) फ्रन्ट - 20 मीटर (ग्रीन बफर) (ii) शेष तीनों तरफ 9-9-9 मीटर। (iii) मानक बी.ए.आर. - 2.00 (iv) अन्य मापदण्ड - भवन विनियम के अनुसार। (v) कार्यालय की तकनीकी राय के साथ संलग्न अनुमोदित मानचित्र के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। 6. प्रस्तावित भूमि हेतु मानचित्र सक्षम स्तर से अनुमोदित करनवाने होंगे। भवन का निर्माण स्थानीय निकाय (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम 2010 के प्रावधानानुसार किया जावेगा।	




उपखण्ड अधिकारी
बहरोड (अलवर)

7. प्रार्थी द्वारा भवन निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया एवं भारतीय मानक ब्यूरो के विभिन्न आई.एस. कोड के उपबन्धों एवं निर्धारित मापदण्डों की पालना पूर्ण रूप से सुनिश्चित करनी होगी। जिसके लिये प्रार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
8. प्रार्थी द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं उक्त अधिनियम के तहत बने नियमों आदि (यदि लागू होते हैं) के सभी सम्बन्धित प्रावधानों की दृढतापूर्वक पालना की जावेगी।





 उपखण्ड अधिकारी
 बहरोड़ (अलवर)
 उपखण्ड अधिकारी बहरोड़

क्रमांक :- भू0रू0 /2022/ 143-146
 प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 08/08/2022

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय (भू0रू0) अलवर।
2. ग्राम पंचायत भगवाड़ी खुर्द तहसील बहरोड़
3. आवेदक सत्यम शिवम शिक्षा समिति ग्राम जखराना तहसील बहरोड़ जिला अलवर जरिये चैयरमैन राजकुमार पुत्र श्री झाबर सिंह निवासी मौहल्ला गुरुनानकपुरा नारनौल जिला महेन्द्रगढ।
4. तहसीलदार बहरोड़ को आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि संपरिवर्तित भूमि का नामान्तरणकरण दर्ज कर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करें।


 उपखण्ड अधिकारी
 बहरोड़ (अलवर)
 उपखण्ड अधिकारी बहरोड़